आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम पीटमा खुर्द के खाता सं. 155 खसरा नं. — में आवेदन के अनुसार शिव पुत्र ओंकार के स्थान पर श्रीकिशन पुत्र ओंकार शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चत करें। आदेश केम्प बी.पी.एच.ए. ग्राम पंचायत सुमेलिया में दिनांक 19/11/25 को मजमेआम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

19/11/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी